

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ. 15(18)2018/गो.प्र./प्रमुखस/

दिनांक

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प.7(37)वन/2018 दिनांक 24.9.2018 के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा तत्कालीन लिपिक ग्रेड 1 (वरिष्ठ सहायक) से तत्कालीन सहायक कार्यालय अधीक्षक (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के पद पर वर्ष 2016-17 की पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.12.2017 का पुनरावलोकन राजस्थान वन अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत आदेश संख्या एफ.15(18)2018/गो.प्र./प्रमुखस/6972/सी दिनांक 06.11.2019 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 13.11.2019 को किया गया। पुनरावलोकन समिति की अभिशपा अनुसार श्री शिवलाल जिनगर पुत्र चुन्नीलाल को आदेश संख्या 1665-1808/सी दिनांक 26.2.2018 द्वारा दो नई पदोन्नति को रिव्यू कर वर्ष 2017-18 के स्थान पर वर्ष 2016-17 की तत्कालीन सहायक कार्यालय अधीक्षक (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) की रिक्तियों के विरुद्ध वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे (3600) में पदोन्नत किया जाता है।

६०

(दीपक भटनागर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ),
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 22.11.2019

क्रमांक एफ. 15(18)2018/गो.प्र./प्रमुखस/7117-7121/c

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं प्रेषित हैं -

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि श्री शिवलाल जिनगर पुत्र चुन्नीलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रति दिलसित करें।
3. अध्याक्ष मंत्रालयिक कर्मचारी समिति वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. रही पत्रावली।



(एच. के. सारस्वत)

उप वन संरक्षक (प्रस्था अराजपत्रित),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर